प्रेषक,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 908 /सह0शा0/समिति गठन/2023-24, दिनांक: - 09/02/2024

विषय:- दिनांक-07.02.2024से दिनांक-21.02.2024 तक अभियान चलाकर मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 208/सत्रह-म-2024-17-1099/9/2024 दिनांक 07.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसमें दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 21.02.2024 तक अभियान चलाकर नदियों पर नई मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित किया जाना है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अभियान चलाकर नई समितियों के गठन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्य विभाग को 1000 नई समितियों के गठन हेतु प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(संतोष सिंह यादव)
उप निदेशक मत्स्य (सह0)
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0

पत्रांक एवं दिनांक-उक्त।
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- समस्त उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उ0प्र0।
2- अनु0 सचिव, मत्स्य अनुभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

उप निदेशक मत्स्य (सह0)
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
कासगंज, फर्रूखाबाद, कन्नौज, बदायूँ, गाजीपुर, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर, कानपुर देहात, इटावा, जालौन, बहराइच, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सीतापुर, हमीरपुर, बांदा, बरेली, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर।
2. निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या- 208/सत्रह-म-2024-17-1099/9/2024 दिनांक:07 फरवरी, 2024

विषयः दिनांक 07.02.2024 से 21.02.2024 तक मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का अभियान चलाकर गठन किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यह अवगत कराना है कि आपके जिले में मत्स्याखेट के लिए नदियों के पट्टे अभी भी काफी संख्या में अवशेष हैं। उल्लेखनीय है कि सदानीरा नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा /ठेका नीलामी के लिए शासन के पत्र दिनांक 19.01.2024 (संलग्नक-1) द्वारा तकनीकी दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए पट्टा/ नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। निदेशक मत्स्य/निबन्धक, मत्स्य जीवी सहकारी समितियो उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 (संलग्नक-2) द्वारा मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के निबन्धन हेतु पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2- सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 1000 नयी मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ बनाने का लक्ष्य मत्स्य विभाग उ0प्र0 को निर्धारित किया गया है। कतिपय मामलों में यह देखा जा रहा है कि प्रदेश में मत्स्याखेट के लिए कुछ प्रभावशाली मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की *Oligopoly* स्थापित हो गयी है, जिसके कारण मछुआ समुदाय के मछुआरों को व्यापक रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। निदेशक मत्स्य के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2015 द्वारा मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के निबन्धन में तेजी लाने हेतु कतिपय तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु संगठन बैठक कार्यवाही-1, संगठन बैठक कार्यवाही-2, संगठन बैठक कार्यवाही-3, वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-2 प्रपत्र संख्या-41(घ) (धनराशि जमा करने का चालान फार्म), मत्स्य जीवी सहकारी समिति के निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप तथा नदियों के जलक्षेत्र पर नदी/जनपदवार निबन्धन हेतु प्रस्तावित मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की संख्या के विवरण की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 19.01.2024 एवं निदेशक मत्स्य के पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का प्राथमिकता पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 07.02.2024 से 21.02.2024 तक अभियान चलाकर मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन कराने का कष्ट करें, जिससे मछुआ समुदाय के अधिक से अधिक मछुआरों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) पर जिले से सप्ताहिक आख्या प्राप्त कर दिनांक 15.02.2024 तथा दिनांक 22.02.2024 को शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

Digitally Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 07-02-2024 17:38:13
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 208(1)/सत्रह-म-2024 तद्दिनांकः

<u>प्रतिलिपि</u>- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 ।
(4) सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव